



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092020-222137
CG-DL-E-30092020-222137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3013]
No. 3013]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3375(अ).—भारत सरकार, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं. 12) की धारा-3 की उप-धारा 4 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.12.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4579 (अ) क्रम में, एतद्वारा 17वीं लोकसभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को, इस अधिसूचना की तारीख से दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामित करती है :

- (i) श्री प्रदान बरुआह, संसद सदस्य (लोक सभा)
- (ii) श्री अर्जुन सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)

[फा. सं. 12/14/2016-पटसन]

संजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
(JUTE SECTION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020.

S.O. 3375(E).—In exercise of powers conferred by Sub Section 4(b) of Section 3 of National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles S.O. 4579(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 20.12.2019, Government of India hereby nominate the following two members of 17th Lok Sabha to serve as member in the National Jute Board for a period of two years from the date of the notification:-

- (i) Shri Pradan Baruah, Member of Parliament, (Lok Sabha).
- (ii) Shri Arjun Singh, Member of Parliament, (Lok Sabha).

[F.No.12/14/2016-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3376(अ.).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 का 12) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 24 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4959(अ) के क्रम में भारत सरकार एतद्वारा 29 सितम्बर, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का निम्नलिखितानुसार पुनर्गठन करती है:-

1.	सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (पटसन), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
4.	पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (आरएफएस, एनआरएम, एम एंड टी, टीएमसी एवं जेटीएम), केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (पी एवं एफसीआई) केंद्र सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संघ (इजीरा), कोलकाता	सदस्य
8.	प्रिंसिपल, पटसन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईजेटी), कोलकाता	सदस्य
9.	निदेशक, राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (निरजफ्ट), कोलकाता	सदस्य
10.	निदेशक, केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), बैरकपुर, पश्चिम बंगाल	सदस्य

11.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम (जेसीआई), कोलकाता	सदस्य
12.	सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र, असम सरकार	सदस्य
13.	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,, मेघालय सरकार	सदस्य
14.	आयुक्त एवं सचिव, हथकरघा वस्त्र एवं रेशम उत्पादन विभाग ओडिशा, ओडिशा सरकार	सदस्य
15.	सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	सदस्य सचिव

[फा. सं. 12/14/2016-पटसन]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020.

S.O. 3376(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation of Notification No.S.O.4959(E)24th September, 2018, the Government of India hereby reconstitutes with effect from 29th September, 2020 for a period of two years, the National Jute Board as follows:-

1.	Secretary, Ministry of Textiles, New Delhi.	Chairman
2.	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Textiles, New Delhi.	Member
3.	Joint Secretary (Jute), Ministry of Textiles, New Delhi.	Member
4.	Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata.	Member
5.	Joint Secretary, (RFS, NRM, M&T, TMC & JTM), Representative of Central Government, Ministry of Agriculture, New Delhi.	Member
6.	Joint Secretary (P&FCI), Representative of Central Government, Ministry of Food & PD, New Delhi.	Member
7.	Director, Indian Jute Industries Research Association (IJIRA), Kolkata.	Member
8.	Principal, Institute of Jute Technology (IJT), Kolkata.	Member
9.	Director, National Institute of Research on Jute and Allied Fibre Technology (NIRJAFT), Kolkata.	Member
10.	Director, Central Research Institute for Jute and Allied Fibers (CRIJAF), Barrackpore, West Bengal.	Member
11.	Chairman-cum-Managing Director, Jute Corporation of India (JCI), Kolkata.	Member
12.	Secretary, Micro, Small & Medium Enterprises & Textiles, Govt. of Assam.	Member
13.	Principal Secretary to Government, Industries & Commerce Department, Meghalaya.	Member
14.	Commissioner & Secretary to the Govt. of Assam, Handloom Textiles & Sericulture Department, Odisha.	Member
15.	Secretary, National Jute Board, Kolkata.	Member Secretary

[F.No.12/14/2016-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.